



# केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

Under Ministry of Education, Govt. of India

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली.110016/

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

website:www.kvsangathan.nic.in

E-mail : [kvslegalsection@gmail.com](mailto:kvslegalsection@gmail.com)

दूरभाष /Tel : 011-26523069

फ०सं०- 18-12/2022/Misc /के०वि०एस० /एल०एण्डसी०/ 417-418

Dated- 18.03.2026  
20

कार्यालय आदेश

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :केविसं तथा भारत सरकार के अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालयों अधिकरण के समक्ष केविसं की ओर / से पैरवी करने पश्चात देय शुल्क के संशोधित प्रावधानों के संबंध में।

महोदया / महोदय

यह सूचित किया जाता है कि केविसं तथा भारत सरकार के अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालयों / अधिकरण के समक्ष केविसं की ओर से पैरवी करने पश्चात देय शुल्क के संबन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1)2014/Judl. दिनांक 01.10.2015 को संशोधित करते हुए भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के जुडीशियल अनुभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. J-12011/6/2025-Judicial/E.158060 दिनांक 05.02.2026 की अधिसूचना के अनुसार जारी किया है (प्रति संलग्न)।

तदनुसार सभी संभागों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन सं. J-12011/6/2025-Judicial/E.158060 दिनांक 05.02.2026 के प्रावधानों के अनुसार ही भविष्य में केविसं तथा भारत सरकार के अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालयों / अधिकरण के समक्ष केविसं की ओर से पैरवी करने पश्चात भुगतान किया जाए

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिनांक 01.02.2026 के बाद पारित आदेशों तथा अधिवक्ताओं द्वारा की गई पैरवी हेतु भुगतान संशोधित दरों एवं नियमों के अनुरूप ही किया जाए।


भवदीय

(प्रवीण कुमार)

सहायक आयुक्त (विधि एवं समन्वय)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिस्मिपि:-सहायक आयुक्त (आई.टी. सेल), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को इस अनुरोध क साथ की इसे केन्द्रीय विद्यालय (मु.) के वेब साइट पर अपलोड करें।

  
सहायक आयुक्त (विधि एवं समन्वय)